क्रमांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
10 11 वा	पत्रावली "प्रशासन गांवो के संग- 2021 अभि. कैम्प मौके मौजमिया मे पेश हुई। वादि एंव प्रतिवादीगण समस्त उपस्थित होकर राजिनामा पेश कर निवेदन किया की वादी के वादपत्र के चाहे गए अनुतोष अनुसार वाद स्वीकार किया जाता है। तो हमे कोई एतराज नही है। सहमती के आधार पर दावा डीक्री कर दिया जावे। राजीनामा प्रार्थना पत्र उपस्थित वादी एंव प्रतिवादीगण को पढ़कर सुनाया गया सभी ने सही होना स्वीकार किया। तथा अपने हस्ताक्षर किये। राजीनामा अनुसार वाद-वादी स्वीकार कर वादपत्र मे चाहे गए अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाता है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। तदनुसार दावा डीक्री जारी हो। वादपत्र निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ़ को निर्देशित किया जाता है। की निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो। सुमन सोनल RAS शिविर प्रभारी प्रशासन गाँवों के संग अभि. 2021 एवं उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	शिशुपाल (शिशुपाल गोमाराम) राजेन्द्र (राजेन्द्र गोमाराम रेगर) हरिसिंह (हरिसिंह गोमाराम) कृ. नियमाराम M. W. R (मनोहरलाल रेगर) गवाह मोतीराम (मोतीराम / श्री गणेशा राम) रामनिवास (रामनिवास S/o. चुन्नीलाल नेहरा मौलसिया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021केम्प कोर्ट............................ दिनांक ....

प्रपत्र–4

"राजीनामा प्रपत्र "

सेवा मे,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ़, केम्प कोर्ट– श्री सांवाराम शर्मा रा0उ0मा0वि0 कोलसिया

विषयः– प्रकरण सं. 85/2018 (2021/828) अन्तर्गत धारा 188, 88 किस्म दावा
उनवानी श्री शिशुपाल / गोमाराम बनाम श्री पन्नाराम / हनुमान

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उनवानी प्रकरण मे प्रार्थी / वादी श्री शिशुपाल .... का निवेदन है कि यह प्रकरण वर्तमान मे आपके न्यायालय मे लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एंव अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एंव अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है ।

संलग्न प्रस्ताव के अनुसार आपुसी सहमति से वादी ने वादपत्र में जो अनुतोष चाहा है उसके अनुसार वाद स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है. वादी को वादपत्र एम समर्थ की सहमती से डिक्री कर दिया जाए
....

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करे।

क्र.सं.	वादी पक्ष	क्र.स.	प्रतिवादी पक्ष
	शिशुपाल गोमाराम जाति जाट खेदड़ो की ढाणी कोलसिया		① श्री पन्नाराम / हनुमान
	शिशुपाल 11-10-21		② श्री मन्नाराम / हनु...
			③ BDB नवलगढ़
			④ 330B कोलसिया
			⑤ राजेन्द्र / गोमाराम जाट खेदड़ो की ढाणी कोलसिया
			⑥ हरिसिंह

RTO of Jhunjhunu
मंगीलाल राजेन्द्र
हरिसिंह

पहचानकर्ता (वादी पक्ष)
नाम व पता मोतीराम
मोतीराम पुत्र श्री गणेशाराम खेदड़ो की ढाणी

पहचानकर्ता (वादी पक्ष)
नाम व पता रामनिवास बेदरा
पुत्र सुखराम बेदरा

प्रार्थी /वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया है। राजीनामें की इबारत को सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

① वार्ड पंच -3
② [signature] 11-10-21
ग्रा.वि.अ. [signature]
प. कोलसिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:37:47 IST
Reason: SelfAttested

सुमन सोनल RAS
प्रशासन गांवों के संग अभि. 2021, पं.स. नवलगढ़
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नवलगढ़।

शिशुपाल पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी खेदड़ो की ढ़ाणी, कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—— वादी

बनाम

1. पन्नाराम पुत्र हनुमान
2. मनीराम पुत्र हनुमान

जाति समस्त जाट निवासीगण खेदड़ो की ढ़ाणी, कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज.।

3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया जरिये शाखा प्रबन्धक
5. राजेन्द्र पुत्र गोमाराम
6. हरिसिंह पुत्र गोमाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण खेदड़ो की ढ़ाणी, कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:47 IST
Reason: Attested

दावाः— घोषणार्थ, निरस्तगी,

व स्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

वाद वादी निम्न प्रकार से श्रीमान की सेवामें पेश है :——

1. यह कि ग्राम खेदड़ो की ढ़ाणी पटवार हल्का कोलसिया की सरहद में भूमि खाता संख्या 12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1322, 1329, 1360, 1361 कुल किता 4 कुल रकबा 2.40 हैक्टर स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 खातेदार काश्तकार है। भूमि खाता संख्या 38 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1381, 1382, 1383, 1679/1316, 1680/1318 कुल किता 5 कुल रकबा 2.18 हैक्टर स्थित है जिसका वादी संख्या 1 व प्रतिवादी नं. 5 व 6 व भूमि खाता संख्या 69 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1316, 1318, 1384, 1683/1383 कुल किता 4 कुल रकबा 2.19 हैक्टर स्थित है, जिसके प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में से केवल खसरा नम्बर 1679/1316 व खसरा नम्बर 1316 का ही विवाद है शेष भूमि का कोई विवाद नहीं है तथा ना ही शेष भूमि से सम्बन्धित दावे में कोई रिलिफ चाही गई है।

2. यह कि उक्त भूमि पहले वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी जिसका खातेदारान ने आपसी सहमती से भूमि की गुणवता के आधार पर कम–ज्यादा के हिसाब से आपसी विभाजन कर रखा था तथा खातेदारान में अपने खाते भी अलग–अलग करवा लिये थे, विवादित भूमि खसरा नम्बर 1679/1316 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर जिसके पहले खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.51 हैक्टर थे वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के बुजुर्ग गोमाराम के हिस्से में आई थी जिस पर पहले वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 का बुजुर्ग गोमाराम काबिज व काश्त था, उसकी मृत्यू के पश्चात निरन्तर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 काबिज है तथा काश्त करते है और भूमि का लगान अदा करते आ रहे है परन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त विभाजन होने के पश्चात भी भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना मौका देखे ही व बिना जांच साक्ष्य लिये उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.51 हैक्टर स्व. गोमाराम के चाचा हनुमान के खाते में दर्ज कर दी, जिसका बाद में हनुमान के वारिसान ने विभाजन करवा लिया और वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 1679 / 1316 रकबा 0.25 हैक्टर प्रतिवादी नं. 1 के खाते में दर्ज कर दी व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.26 हैक्टर प्रतिवादी नं. 2 मनीराम के खाते में दर्ज कर दी गई थी, जबकी वास्तविक रूप से उक्त भूमि पर आज भी वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 ही काबिज है और भूमि को काश्त करते है।

3. यह कि उक्त विवादित भूमि गलत रूप से प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के खाते में दर्ज कर दी गई, जबकि वास्तव में उक्त विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 शामलाती रूप से है तथा अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1679 / 1316

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:47 IST
Reason: Attested

रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 0.51 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित करवाये जाने के अधिकारी है जिसके लिये यह दावा बाबत घोषणार्थ पेश किया जा रहा है।

4. यह कि विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 के हिस्से, कब्जे काश्त की भूमि है तथा उपरोक्त भूमि पर पहले वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 के पूर्वज का कब्जा व काश्त था तथा वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 के पिता की मृत्यू के उपरान्त वर्तमान में वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 काबिज व काश्त है भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के नाम दौरान भू–प्रबन्ध कार्यवाही भू–प्रबन्ध अधिकारियो की गलती व लापरवाही के कारण गलत बना दिया गया है यदि राजस्व रिकॉर्ड गलत रहता है तो इससे वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 के खातेदारी अधिकारो पर कुठारघात होता है और वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 अपने हक अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि का सही रूप से उपयोग उपभोग भी नहीं कर सकेगें तथा भूमि का विकास भी नहीं कर सकते है दौरान भू–प्रबन्ध कार्यवाही [illegible] रिकॉर्ड बिना अधिकार व कानून के खिलाफ [illegible] जो काबिले दुरूस्ती है जिसको कानून दुरूस्त किया जाना [illegible]आवश्यक व न्यायोचित है इसलिये कानूनन राजस्व रिकार्ड में दूरूस्ती की जाकर विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:37:47 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खसरा नम्बरान 1679/1316 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 0.51 हैक्टर को प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के खाते में से हटाया जाकर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के खातेदारी खाने में वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 का नाम दर्ज किया जाना निहायत ही आवश्यक है। इसलिये वादी को अपने वैध अधिकारो की रक्षार्थ यह दावा घोषणार्थ रिकार्ड दूरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि उक्त गलत रिकॉर्ड बाबत पहले वादी को कोई जानकारी नहीं थी परन्तु अब दिनांक 21.06.2018 को अपने निजी कार्य के लिये राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर उक्त गलत रिकॉर्ड बाबत वादीगण को पता चला अब गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होते ही शिघ्र से शिघ्र वाद पेश किया जा रहा है।

6. यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 3 व 4 के यहाँ भूमि रखकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने ऋण प्राप्त कर रखा है, जिसकी अदायगी का दायित्व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का है ऋण की अदायगी नहीं होने की सूरत में प्रतिवादीगण नम्बर 3 व 4 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के [illegible]ई भूमि से ऋण राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार दावा बनाया गया है प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का भी दावे में वही हित है जो वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested

है तथा वादी के साथ सहमत भी है परन्तु वर्तमान में कमाने खाने बाहर गये हुवे है इसलिए दावे पर हस्ताक्षर करना संभव नही है इसलिए प्रर्फोमा पक्षकार प्रतिवादी बनाये गये है ताकि दावे में आईन्दा कोई नुक्श नहीं रहें।

7. यह कि बिनायेमुखसमत दावा हाजा के लिए वाद कारण गलत रिकॉर्ड बनाये जाने के रोज दिनांक 21.06.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर गलत रिकॉर्ड बाबत जानकारी होने के रोज व वादी के अधिकारो की रक्षार्थ ऐसे वाद के लिए वादकारण प्रत्येक क्षण पैदा होता रहता है के रोज न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

8. यह कि विवादग्रसत भूमि व फरिकेन दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अतः न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय परिशिष्ट के प्रावधानो के तहत उक्त वाद सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

9. यह कि दावा अन्दर मियाद है।

10. यह कि दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

11. अतः वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि

(क) भूमि खसरा नम्बर 1679/1316 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 0.51 हैक्टर के वादी व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested

नं. 5 व 6 को बराबर–बराबर हिस्सो के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) भूमि खसरा नम्बर 1679/1316 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.26 हैक्टर कुल रकबा 0.51 हैक्टर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी से हटाई जाकर वादी व प्रतिवादी नं. 5 व 6 की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे और आवश्यक दुरूस्ती हेतू तहसीलदार तहसील नवलगढ को लिखा जावें।

(ग) यह कि अन्य कोई सिद्वी जो चाही जाने से रह गई हो व वादी के हित में हो वह भी वादी को अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

दिनांक :– 21.06.2018

वादी/प्रार्थी शिशुपाल

शिशुपाल पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासीग खेदड़ो की ढ़ाणी, कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

तस्दीक

मैं, शिशुपाल पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी खेदड़ो की ढ़ाणी, कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज. शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र की धारा 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी में सही व सत्य होना स्वीकार करता हूँ।

शिशुपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:37:47 IST
Reason: SelfAttested